संख्या-14/2022/-453/सा0/सैंतालीस-4-2022/2-ई.एम./2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0 प्र0।
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः: 04 अगस्त, 2022

विषयः सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-9/2021/2-ई.एम./2009-का-4-2021, दिनांक 27 जुलाई, 2021 एवं शासनादेश संख्या-9/2022/सामान्य-145/सैंतालीस-का-4-2022-2-ई.एम./2009, दिनांक 17 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रशासकीय विभाग/ विभागाध्यक्षों स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नही की जा रही है। संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक से समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर संपर्क किया जाता है। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष/ प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, उन प्रकरणों को भी इस स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नही हैं।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का पुनः निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों/ कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने विभाग में प्रत्येक स्तर पर बैठकें आयोजित करते हुये इसका कार्यवृत्त निर्गत करने का कष्ट करें तथा उक्त की प्रति कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ पर सत्यापित की जा सकती है।